न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर उं. जयपुर

फर्द अहकाम

बाबूलाल **बनाम** गोवर्धनलाल

नाम न्यायालय

केस संख्या 30/19 धारा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	4/1/2023	पत्रावली प्रस्तुत व० के० उप० वादी के। आज भी विड्डी प्रा०पत्र पेश नहीं किया है। पूर्व में अनेक अवसर दिये जा चुके है। उपपक्ष के तहसीलदार आमेर से प्राप्त रिपोर्ट पर बहस नहीं की है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने जाहिर किया है की तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट के आधार पर उपपक्ष तकासमा करवाना नहीं चाहते है। अतः वाद खारिज किया जावे। तहसीलदार आमेर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें अंकित किया है की मौके पर वाद में वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित मिले। उपपक्ष के तकासमा नहीं चाहते है। वादी बा.ता. पैमाइश विड्डी कर लेंगे। परन्तु वादी को विड्डी हेतु अनेक अवसर देने के बाद भी विड्डी प्रा०पत्र पेश नहीं किया है। अतः तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट के आधार पर उपपक्ष तकासमा करवाना नहीं चाहते है तो वाद पर अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है अतः मुताबिक तहसीलदार

सहायक कलेक्टर आमेर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जि. जयपुर

फर्द अहकाम

बाबुलाल बनाम भगवानसहाय

यायालय

ंख्या 30/19 s/95

ख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		आमेर की रिपोर्ट के आधार पर वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	